1/2/21 वकील उभय पक्ष उपस्थित। पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 12/2/21 को पेश हो।

12/2/21 वकील उभय पक्ष उपस्थित। पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 24/2/21 को पेश हो।

24-2-21 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी को प्रतिवादी सं. 1 के वारिसान की सूची पेश करने के अनेक बार अवसर दिये जा चुके हैं। आदेशिका दिनांक 21-10-20 एवं 28-10-20 द्वारा अन्तिम अवसर भी दिया जा चुका है। इसके उपरान्त भी अधिवक्ता वादी द्वारा वारिसान सूची प्रस्तुत नहीं की गई। वाद को चलाने का जिम्मा वादी का होता है। वादी द्वारा न्यायालय के बार-बार दिये गये आदेशों की पालना नहीं की गई है। अधिवक्ता वादी भी उपस्थित नहीं है। अतः वाद वादी अदम हाजरी अदम पैरवी एवं अदम तकमीलात खारिज किया जाता है। पत्रावली दफ्तर नस्ल से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दीवानी अभिलेखागार रहे।

(अमोल सिंह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर